राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ (2)आरडी//नरेगा/आईसी/स.वि./09–10 जयपुर, दिनांकः–11.02.2010

जिला कलक्टर्स एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सजावटी एवं व्यक्तिगत प्रचार के विज्ञापन जारी न करने के क्रम में।

संदर्भः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ (2)आरडी/आरई/नरेगा/हरित/2009 दिनांक 06.010.2009

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों में संदर्भित आदेश द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगायी गयी थी, जिनमें नरेगा योजना की जानकारी नगण्य एवं योजना से जुड़े कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों के नामों का फोटो सहित सजावटी विज्ञापनों में उल्लेख अंकित होता है। ऐसे विज्ञापनों से योजना के धन का अपव्यय होता है।

इस क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे सजावटी विज्ञापनों पर रोक यथावत जारी रहेगी। जिला परिषद /पंचायत समिति /ग्राम पंचायत से ऐसे कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किये जायें।

यदि योजना के हित में ऐसे सजावटी विज्ञापन जारी करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार से उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इन निर्देशों की पालना समस्त स्तरों पर सुनिश्चित की जाए।

11/2/10

(तन्मय कुमार)
सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त (राजस्थान)।
2 कार्यालय पत्रावली।

11/2/10

परियोजना निदेशक, ईजीएस